श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: महोदया, कृषि के बारे में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि यह डाईवर्सिफिकेशन आफ एग्रीकल्चर हो रहा है—एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, ऑयलसीड्ज़ और पल्सेज, इनकी दुनिया में बहुत मांग है और इनके एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। तो मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर का डाईवर्सिफिकेशन जरूर हो जाए और जैसे महाराष्ट्र में अंगूर का एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉटन का भी हो सकता है, चीनी का भी हो सकता है। अगर हम किसानों को बढ़ावा दें तो अकेला महाराष्ट्र 25 हजार करोड़ से ज्यादा फारेन एक्सचेंज कमा सकता है। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि इसको नोट किया जाए और कृषि नीति के बारे में यहां चर्चा हो और अन्य राज्यों को यहां से आदेश जाएं।

दूसरी बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो कही है वह यह है कि 14 हजार करोड़ का प्रावधान नेशनल वॉटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश में अभी तक 70 प्रतिशत जमीन ड्राई फार्मिंग में है जिसमें इरिगेशन हम कर नहीं पाते जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं सकते। तो यह जो प्रोग्राम है इससे एक नयी क्रांति आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सैटेलाईट के माध्यम से इसका सर्वे हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसको प्रायोरिटी दी जाए और किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। फूडस्टॉक के बारे में मैंने बता दिया कि 23 मिलियन टन का स्टाक हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी किस्म की नैचुरल कैलेमिटी होती है किसी तरह की अकाल की स्थिति आती है तो हमारे देश में इतना भंडार है, इतना फूडग्रेन्स है कि हम आत्म-निर्भर हैं।

रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए 56 परसेंट मनी सप्लाई किया गया है, मैं उसकी पूरी तरह से सराहना करना चाहता हूं। मिनिस्ट्री आफ वैल्फेयर में भी काफी बढ़ावा दिया गया है।

उसके बाद मैं आना चाहता हूं हमारे साइंस और टेक्नालॉजी के ऊपर जिसने हमारे देश में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज तक जो हमारा नेशनल जी० डी० पी० था वह बहुत कम खर्च होता था रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। कुछ दिन पहले हमने अग्नि मिसाइल की परीक्षा की। इससे हमारे देश का हौसला बुलंद हुआ है। अग्नि मिसाइल को ले जाकर रखा है, इससे यह साबित हो गया है कि भारत किसी से कम नहीं है।

इसके अलावा मुझे पता चला है कि हमारे शास्त्रज्ञों के पास इतनी कैपेसिटी है कि 300 मील की दूरी के मिसाइल तैयार कर सकते हैं। हमारे शास्त्रज्ञ उसके प्रयास में पूरी तरह से जुटे हुए हैं क्योंकि हम किसी भी हालत में देश की सुरक्षा के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे अभी मनमोहन सिंह जी ने बजट बढ़ाया है, मानवीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में हमें काफी बढ़ावा देना चाहिए।

उपसभापति: अब 6 बजे एक स्टेटमेंट है, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। उसके बाद आप अपनी बात बोलिए।....वैसे अभी आप कितना टाइम लेंगे।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: फिर कल ही रखिए। अभी मुझे 10 मिनट और चाहिएं....

उपसभापति: अच्छा बाकी कल बोल लीजिए।

STATEMENT BY MINISTER

Incident of parading of a dalit woman in Dauna village in Allahabad on 21.1.1994

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): Madam Deputy Chairman,

I have obtained a report from the Government of Uttar Pradesh regarding the incident pertaining to strapping and parading of a Dalit woman in Allahabad District: on 21.1.94. According to the State Government's report, one Shrimati Shiv Patia, wife of Shri Moti Lal was forced to parade naked by one Shri Lurkhur Patel and 20-25 other people in village Dauna of P.S. Ghoorpor in Allahabad District. The reason for this most serious offence appears to arise from animosity between the sons of Shri Lurkhur Patel and Shri Moti Lal. Reportedly, an altercation also seems to have taken place between these two boys on 16th January, 1994.

On receipt of information about the incident, a case under Sections 147/148/149/354/504/506/ IPC and 3(1) iii (x) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was registered. 22 people connected with the incident, including the 8 persons named in the FIR have been arrested and

chargesheets have been submitted to the Court on 7.2.94. Of these 22 persons, 8 of the accused have, in addition, also been detained under the NSA. Arms licences of all the accused have been suspended.

The Chairman of the Revenue Board of Uttar Pradesh was deputed to inquire into the matter. He has already submitted his report which is being examined by the State Government.

Action has also been taken against the defaulting Police officers. The Additional S.P., the Circle Officer, and four other Police Officers have been placed under suspension and the Senior Superintendent of Police of Allahabad has been transferred. Adequate security has been provided for the family of the victims. Financial assistance of Rs. one lakh ten thousand has been disbursed. The State Government has reported that action has been taken by it to see that this incident which is reported to be confined to a dispute between two families does not emerge into an inter-caste clash. The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs, Shri Ram Lal Rahi, also visited the village on 22.1.1994.

I would like to take this opportunity to assure the Members of this hon'ble House that the Government views all incidents of this type with most serious concern and has been advising the State Governments, from time to time, regarding the need to take timely preventive, punitive and rehabilitative measures. The Home Minister has also written to the Chief Ministers of various States, including Uttar Pradesh, in this regard. The Home Minister has also particularly addressed a demi official letter to the Chief Minister of Uttar Pradesh in regard to this case.

Government will continue to closely monitor the incidents of crime against Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women and also continue effective coordination with the Ministry of Welfare in this regard.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहिबा, क्लेरिफिकेशन की बात पर मैं नहीं पड़ रहा हूं। मुझे मालूम नहीं आपका क्या फैसला है कि क्लेरिफिकेशन इस वक्त पूछी जायेगी या नहीं। लेकिन मुझे एक बड़ा सीरियस आब्जेक्शन है। इस बयान पर मुझे ताज्जुब है कि यह होम मिनिस्टरी की नजर से कैसे गिर गया। यह एक केस जो रजिस्टर्ड हुआ यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन आफ एट्रोसीटिज एक्ट के मातहत क्यों हुआ है। किसी भी औरत के साथ अगर यह हुआ था, एक खातून के साथ कोई ज्यादती हुई है तो कोई दूसरा कानून होना चाहिए था। ताज्जुब की बात है कि यहां भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम को लेकर इन तमाम दफाओं को लगाया गया, नान हरिजन लेडी होती तो कौन सी दफाओं में केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। खासतौर से जब कि दोनों फेमलीज हैं, दे बिलोंग टु शेड्यूल्ड कास्ट्स। मेरी समझ में नहीं आया।

श्री संघ प्रिय गौतम: इसमें लिखा है वाइफ आफ... **(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त: आई एम टेकिंग माई आब्जेक्शन बैक। मैं गलत हो सकता हूं। मैंने पूछने की कोशिश की थी। **(व्यवधान)**

SHRI P.M. SAYEED: You will kindly note that in the statement itself, it is said that on receipt of information about the incident, a case was registered "under Sections 147/148/149/354/504/506 IPC and 3(1) iii (x) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act."

उपसभापति: यह कह रहे हैं दोनों हैं। 147/148/149/354/504/506 आई पी सी, इसके अलावा...

SHRI P.M. SAYEED: "And" is there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: To make it more serious.

श्री सिकन्दर बख्त: इस केस को ट्रीट इस तरह से करना चाहिए कि किसी भी एक हिन्दुस्तानी औरत के साथ वह ज्यादती हुई है बस।

एक माननीय सदस्य: मैडम, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। **(व्यवधान)**

उपसभापति: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यह सब दफाएं लगाई गई हैं उसके साथ यह जो दूसरी लगाई गई

शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट वह भी एक्स्ट्रा लगा दी बिकाज शी बिलांग टु दैट। **(व्यवधान)** अगर हाउस एग्री करता है तो वई कैन हैव क्लेरिफिकेशंस टुमारो। जाधव जी आपका क्या इरादा है? आप दस मिनट बोलेंगे या कुछ और इरादा है?

एक माननीय सदस्य: जाधव जी तो बोलने के लिए तैयार हैं हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह: हम लोग समझते हैं आप हाउस को एडजोर्न कर दीजिए क्योंकि हमारे पहले से प्रोग्राम रहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी० एम० सईद: रोजा भी है।

श्री शंकर दयाल सिंह: हां, रोजा भी है।

उपसभापति: आप का तो नहीं है।

श्री शंकर दयाल सिंह: दावत में तो शामिल होते हैं।

उपसभापति: ऐसा है यह तय हुआ था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि 6 बजे या उसके बाद तक बैठेंगे। तो हम लोगों ने वह कमिटमेंट तो पूरा कर लिया 6 बजे और उसके बाद तक बैठे हैं।

मगर हम लोग के पास जितने भी नाम आये हैं, उनको पूरा मौका तो देना है। सब लोग भाषण करना चाहते हैं, कुछ फिर रिटायर हो जायेंगे, नेक्स्ट सेशन में, वे जरूर बोलना चाहेंगे। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आइंदा हम लोग कोशिश करें और थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाया करें। तो ठीक है। If the House so agrees, we adjourn the House now. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 2nd March, 1994.

MGIPF—29 GIPMR/96—400